न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./27/2023/बाड़मेर

अपीलांटस	**रेस्पोडेंटगण**
1. रावतसिंह पुत्र मूलसिंह 2. शंभुसिंह पुत्र मूलसिंह जातियान राजपूत निवासी सिणली जागीर तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर	1. अर्जुनसिंह पुत्र लालसिंह 2. अमरसिंह पुत्र लालसिंह का.मु. 2/1विशनसिंह पुत्र अमरसिंह 2/2नरेन्द्रसिंह पुत्र अमरसिंह 2/3जड़ावकंवर पत्नी अमरसिंह 3. हरीसिंह पुत्र लालसिंह 4. हुकमसिंह पुत्र लालसिंह 5. जोरसिंह पुत्र लालसिंह 6. गुलाबसिंह पुत्र भंवरसिंह 7. उदयसिंह पुत्र भंवरसिंह 8. हरकंवर पत्नी भंवरसिंह 9. जड़ावकंवर पत्नी अर्जुनसिंह जातियान राजपूत निवासीयान सिणली जागीर तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर 10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 31/2011 बअनवान अर्जुनसिंह बनाम रावतसिंह वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.05.2017 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री पवन सिंहल, श्री नरपत पूनड़ अपीलान्ट की ओर से।
2. रेस्पोडेंटस बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः–08.06.2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता/वादी एवं अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 01 से 09 की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 361,

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

362, 425/262, 431/262, 494/388 कुल 5 खसरा का रकबा क्रमश 0.07 बीघा, 17.11, 33.10, 80.06, 55.02 सरहद मौजा कतवारी खाता संख्या 19 पटवार क्षेत्र तिलवाड़ा एवं खसरा संख्या 370, 371, 372, 426/262, 432/265, 495/388 कुल खसरा संख्या 6 रकबा क्रमशः 00.04, 34.09, 10.15, 16.14, 40.02, 40.04 बीघा सरहद मौजा कतवारी के खाता संख्या 81 पटवार क्षेत्र तिलवाड़ा में अवस्थित है। खसरा संख्या 401/129, 464/159, 466/166 कुल रकवा 3 रकबा 16.10, 22.19, 08.01 बीघा सरहद मौजा सिणली सोसीरा के खाता संख्या 230 पटवार क्षेत्र तिलवाड़ा में अवस्थित है। नाथूसिंह व रणजीतसिंह दोनों खुद काश्त जागीरदार थे। जिनका वादग्रस्त आराजी में 1/2–1/2 हिस्सा था। नाथूसिंह के वारिस करणसिंह व धूड़सिंह थे। करणसिंह के वारिस जेठूसिंह व लालसिंह थे तथा धूड़सिंह के वारिश मूलसिंह थे एवं मूलसिंह के वारिस प्रतिवादगण संख्या 1 व 2 रावतसिंह व शंभूसिंह है तथा जेठूसिंह, रणजीतसिंह के गोद थे जो लाऔलाद फौत होने से वारिश जेठूसिंह, रणजीतसिंह के गोद थे जो लाऔलाद फौत होने से वारिश जेठूसिंह की पत्नी सरूपकंवर थी जो लाऔलाद फौत होने से नजदीकी रिश्तेदार लालसिंह एवं लालसिंह के वारिस वादी व प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 10 वारिस है। वक्त सेटलमेंट पर्चा संख्या 4 में करणसिंह वल्द नथसिंह हिस्सा 1/4 मूलसिंह वल्द धूड़सिंह हिस्सा 1/4, सरूपकंवर बैवा जेठूसिंह हिस्सा 1/2 स्पष्ट रूप से दर्ज है व हिस्से के अनुसार वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त थे। संवत 2018 से 2021 की जमाबंदी के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि जमाबंदी में हिस्सा 1/3, 1/3 व 1/2 दर्ज किया गया है जो भूल से किया गया है। विधि अनुसार इस प्रकार हिस्सा दर्ज होना संभव भी नहीं है जगकि हिस्सा मूलत 1/4, 1/4 व 1/2 प्रमाणित है। इस आशय का वाद पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त अपीलांटस को सूनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपीलांटस के विद्वान अधिवक्ता की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 10 का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का 1/2 हिस्सा खातेदारी का है। भूल से हिस्से गलत दर्ज हुए।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वादग्रस्त भूमि में लालसिंह व उसके वारिसान का 1/2 हिस्सा तथा मूलसिंह व उसके वारिसान का 1/2 हिस्सा खातेदारी का है तथा उपरोक्त हिस्से अनुसार मूलसिंह के वारिसान रावतसिंह व शम्भूसिंह मौके पर काबिज काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटस द्वारा पेश काउण्टर क्लेम का निरतारण नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद के विचारण के दरम्यान प्रतिवादी अमरसिंह पुत्र लालसिंह व मानकंवर पत्नी लालसिंह का स्वर्गवास हो गया था उसके वावजूद अपीलाधीन निर्णय व डिक्री मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित की गई जो प्रारम्भ से ही शून्य है। कैम्प कोर्ट में दिनांक 25.05.2017 में उतरदाता अर्जुनसिंह ने शेष खसरान की भूमि बाबत कोई समझौता पत्र न लिखवाकर केवल मात्र 495/388 में 30 बीघा भूमि अपने नाम लिखवाने का समझौता पत्र करवाकर वाद को फैसला करवा दिया, जबकि अदालत मातहत ने इस बाबत किसी तथ्य की जांच नहीं की तथा न ही निर्णय डिक्री में खसरा संख्या 495/388 की भूमि को छोड़कर शेष खसरा संख्या की भूमि को छोड़कर शेष खसरा नम्बर की भूमि के संबंध मे कोई निर्णय पारित किया, जिससे स्पष्ट है अदालत मातहत ने अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर पक्षकारान द्वारा चाहे गये अनुतोष से बाहर जाकर वाद में वर्णित अनुतोष से भिन्न अनुतोष उतरदाता अर्जुनसिंह को प्रदान कर दिया। वादीगण द्वारा अपीलांटस को खाली राजीनामा प्रपत्र पर हस्तक्षार करवाकर न्यायालय में पेश किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे। अपीलांटस अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:—

RRD 2016 Page 632
RRT 2017(1) Page 446
RRD 1973 Page 11
RRD 1986 Page 187
DNJ 1996 Page 01
RRD 2002 Page 74
RRD 1995 Page 576
RRT 2018(1) Page 601
RRT 2017(2) Page 1104
DNJ 2020 Page 155
RRT 2008(2) Page 1407

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अर्सा एक माह पूर्व गलत निर्णय डिक्री के आधार पर उतरदातागण द्वारा अपीलांट की कब्जे काश्त की भूमि खसरा संख्या 495/388 जिसमें अपीलांट का 1/2 हिस्सा 20.04 बीघा भूमि है पर दखलदांजी व हस्तक्षेप कर बेदखल करने का प्रयास किया गया तब अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की नकले दिनांक 06.01.2023 को मांगी जो दिनांक 06.01.2023 को अपीलाधीन आलोच्य निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई व जानकारी की नियत समयावाधी के भीतर उक्त अपील प्रस्तुत की जा रही है तथा सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई जिससे यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अपीलांटस के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की वजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री मृत पक्षकार के विरूद्ध पारित की गई जो प्रारम्भ से ही शून्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। कैम्प कोर्ट में दिनांक 25.05.2017 में उतरदाता अर्जुनसिंह ने शेष खसरान की भूमि बाबत कोई समझौता पत्र न लिखवाकर केवल मात्र 495/388 में 30 बीघा भूमि अपने नाम लिखवाने का समझौता पत्र करवाकर वाद को फैसला करवा दिया, जबकि अदालत मातहत ने इस बाबत किसी तथ्य की जांच नहीं की तथा न ही निर्णय डिक्री में खसरा संख्या 495/388 की भूमि को छोड़कर शेष खसरा संख्या की भूमि को छोड़कर शेष खसरा नम्बर की भूमि के संबंध मे कोई निर्णय पारित किया गया। जिस राजीनामा के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया उक्त निर्णय पर सभी पक्षकारान के हस्ताक्षर नहीं है। अपीलांटस द्वारा अपील में कथन किया गया कि खाली राजीनामा प्रपत्र पर अपीलांटस के हस्ताक्षर करवाये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील अपीलांटस के शपथ–पत्र पर विश्वास कर रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 31/2011 वअनवान अर्जुनसिंह बनाम रावतसिंह वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.05.2017 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटस को सुनवाई समुचित का मौका दिया जाकर अपीलांटस द्वारा पेश काउण्टर क्लेम का निस्तारण करते हुए गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 08.06.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर